कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 1239/नाजिर सदर/2017–18 दिनांक 26/2/2018

सार्वजनिक सूचना

राजस्व विभाग की निम्न निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी जहॉ है जैसा है(As is where is) के आधार पर दिनांक 06.03.2018 को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में अपरान्ह 4:00 बजे की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निर्धारित तिथि में कलेक्ट्रेट कार्यालय में बोली हेतु उपस्थित हो। बोली की समस्त धनराशि नीलामी के तत्काल बाद जमा करायी जानी आवश्यक है। बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को अंकन रू0 20,000/– अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करानी होगी। नीलामी से सम्बन्धित शर्ते जनपद गौतमबुद्धनगर की वेबसाइट www.gbnagar.nic.in पर देखी जा सकती है।

1. वाहन संख्या यू0पी016 जी 0192(कलेक्ट्रेट) टाटा सूमो
2. वाहन संख्या यू0पी016 जी 0121(तहसील दादरी) टाटा स्पेशियों

(बी.एन. सिंह)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार नीलामी की सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

2– नाजिर सदर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

3– समस्त तहसीलदार/उप जिलाधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व विभाग के वाहन संख्या यू0पी0 16जी–0192 टाटा सूमो(कलेक्ट्रेट) तथा यू0पी0 16जी–0121टाटा स्पेशियो(तहसील दादरी) जहॉ है जैसा है(As is where is) के आधार पर निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी दिनांक 06.03.2018 को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में अपरान्ह 3:00 बजे जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। नीलामी की शर्ते निम्नवत् रहेगीः–

1. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये नीलामी निरस्त कर दे।
2. वाहन की बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व जमानत के रूप में रू0 20000/–(बीस हजार रू0 मात्र) अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करने होगें, जो नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दिये जायेगे, जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी उस व्यक्ति की जमानत राशि वाहन के मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।
3. नीलामी पूर्ण हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को बोली की पूर्ण धनराशि नीलामी स्तर पर तुरन्त जमा करनी होगी।
4. उपरोक्त सन्दर्भित निष्प्रयोज्य वाहन को निरीक्षण हेतु किसी भी कार्य दिवस में कलेक्ट्रेट में नाजिर सदर तथा तहसील दादरी में तहसीलदार दादरी से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
5. वाहन एक सप्ताह के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा।
6. नीलामी हेतु कम से कम तीन बोलीदाता के उपस्थित होने की दशा में नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
7. बोलीदाता के पास अपना आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पहचान पत्र का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
8. अंतिम व सर्वोच्च बोली दाता के पक्ष में नीलामी कर दी जायेगी यदि उक्त नीलामी क्रेता उस समय पूर्ण धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया में जी.एस.टी. आदि कर नियमानुसार पृथक से जमा करने होगें।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /नाजिर सदर/2017–18 दिनांक 2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि जनपद गौतमबुद्धनगर की वेबसाइट पर अपलोड करें।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।